न्यायालय .... सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
....
मुकदमा नं. 98/2020 गोपाल दास वगैरह बनाम बसन्ती देवी आदि
किस्म दावा

दिनांक	कार्यवाही	
29.10.20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 23/11/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	
23/11/20	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.1.21 को पेश हो। प्रति. सं. 3 की ओर से Adv. संदीप कुमार शर्मा की ओर से वकालतनामा पेश किया	LTI गोपालदास
6/1/2021	पत्रावली मिसल तलबी आवेदन पर आज पेश हुई। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से Adv. देवीदत्त शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.1.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	RTI बसन्ती देवी प्रतिवादी (3) [illegible]
15/1/21	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष हाजिर। बाद बहस राजीनामा डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर जमा [illegible] हो। आज तनकीह [illegible] कागजात शामिल [illegible] है। [illegible] 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती शीलावती मीणा (आर.ए.एस)

संख्या 98/2020

1. गोपालदास चेला केशवदास जाति स्वामी निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर

— वादी—

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नी बंशीदास
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीदास समस्त जाति स्वामी निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर
3. सहायक अभियन्ता वि.सु/पवस अ.वि.वि.नि. लि. पिपराली मु0 सीकर
4. कनिष्ठ अभियन्ता वि.सु/पवस अ.वि.वि.नि. लि. पिपराली मु0 दादिया जिला सीकर
5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेरी तहसील व जिला सीकर
6. तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

— प्रतिवादीगण —

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित — वकील वादी — श्री नोपाराम जांगिड़
वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 — श्री देवीदत्त शर्मा
संख्या 3 व 4 — श्री संदीप शर्मा

निर्णय

दिनांक : 15-7-2021

वकील वादी श्री नोपाराम जांगीड़ द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 870, 871 व 873 किता 5 रकबा 5.5700 है0 अवस्थित है। विवादित भूमियों में वादी का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा है जो संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी वं प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने खसरा नम्बर 869 में शामलाती खर्चे से एक ट्यूबवेल का निर्माण किया है। अपने अपने हिस्से की भूमि को अंदाज से काश्त करते है इसलिये हिस्से को लेकर विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण को बंटवारा करने हेतु कहा गया तो करवाने की कहते रहकर समय निकालते रहे। बाद में स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रतितवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

से मिलकर अकेले विधूत संबंध प्राप्त करना चाहते है। जबकि ट्यूबवेल शामलाती है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों का बंटवारा किया जाकर वादी को अलग खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को विधुत संबंध अकेले के नाम से लेने एवं देने से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 हाजिर नहीं रहे। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रति0 सं0 3 व 4 जरिये वकील श्री संदीप शर्मा उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री देवीदत्त शर्मा उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

वकील उभय पक्ष को सुना गया । वकील उभयपक्ष ने दावा राजीनामा के अनुसार स्वीकार कर डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया । हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया । विवादित भूमियों की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2075–78 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से हिस्से अनुसार दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा में अपना अपना हिस्सा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अलग– अलग दर्शा कर बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादी बरूऐ राजीनामा एवं उभयपक्षों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 870, 871 व 873 किता 5 रकबा 5.5700 है0 का राजीनामा के अनुसार बंटवारा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व नक्शा ट्रेस निर्णय के भाग रहेगें। तहसीलदार सीकर इसी अनुसार निर्णय की पालना करें। रहन खातेदारों के पूर्वानुसार रहेगा। डिक्री जारी हो।

(शीलावती मीणा)

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 15.1.2021 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय) सीकर

पीठासीन अधिकारी– शीलावती मीणा (आर.ए.एस)

वाद संख्या 98/2020

गोपालदास बनाम बसन्ती

वाद वादी बरूऐ राजीनामा एवं उभयपक्षों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 870, 871 व 873 किता 5 रकबा 5.5700 है0 का राजीनामा के अनुसार बंटवारा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व नक्शा ट्रेस निर्णय के भाग रहेंगें। तहसीलदार सीकर इसी अनुसार अमल दरामद करें। रहन खातेदारों के पूर्वानुसार रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना– अपना वहन करेंगें।

(शीलावती मीणा)
सहायक कलक्टर(द्वितीय) सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 15·1·2021. मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शीलावती मीणा)
सहायक कलक्टर(द्वितीय) सीकर

गोपालदास चेला केशवदास जाति स्वामी निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर

– वादी–

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नी बंशीदास
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीदास समस्त जाति स्वामी निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर
3. सहायक अभियन्ता वि.सु/पवस अ.वि.वि.नि. लि. पिपराली मु0 सीकर
4. कनिष्ठ अभियन्ता वि.सु/पवस अ.वि.वि.नि. लि. पिपराली मु0 दादिया जिला सीकर
5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेरी तहसील व जिला सीकर
6. तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

(शीलावती मीणा)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर